पत्रांक–वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VII)पेयजल(सहरसा)–15/2024–

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक –

विषय :– सात निश्चय कार्यक्रम के अधीन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा में पेयजल व्यवस्था हेतु रू० 13,67,867.00 (तेरह लाख सड़सठ हजार आठ सौ सड़सठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख –सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का पत्रांक–2192, दिनांक–28.10.2024 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक–17.06.2025 को आयोजित बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा में पेयजल व्यवस्था हेतु रू० 13,67,867.00 (तेरह लाख सड़सठ हजार आठ सौ सड़सठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय, मांग संख्या–36(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) के अन्तर्गत ''मुख्यशीर्ष –4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष –105– इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उपशीर्ष –0109– पेयजल संबंधी कार्य (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) के अधीन विषयशीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य के अधीन उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड–36–4202021050109 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा होंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार जिला कोषागार, सहरसा से की जायेगी।

6. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. राशि की निकासी एवं व्यय बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2024 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य कराने की संयुक्त जिम्मेदारी संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया

जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०— वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VII) पेयजल(सहरसा)—15/2024 के पृ०—**14**/टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक—7355 वि (2), दिनांक—05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/—

(कुमार सिद्धार्थ)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VII) पेयजल(सहरसा)—15/2024— /पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VII) पेयजल(सहरसा)—15/2024— /पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— सचिव/अभियंता प्रमुख —सह—विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VII) पेयजल(सहरसा)—15/2024— /पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि०प्रा० एवं त०शि०वि०(VII) पेयजल(सहरसा)—15/2024— /पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VII) पेयजल(सहरसा)—15/2024— /पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VII) पेयजल(सहरसा)—15/2024— /पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि०प्रा० एवं त०शि०वि० (VII) पेयजल(सहरसा)—15/2024— 4126 **/पटना, दिनांक—** 29.07.25

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/25

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\SCIENCE, TECHNOLOGY AND TECHNICAL EDUCATION DEPT\2025\ADDITIONAL SECRETARY SANCTLETTER\VIPRA 15-2024 GP, SAHARSA, PEYJAL.DOC